प्रेस नोट

जनपद संकबीरनगर

दिनाँक 31.01.2026

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं / बालिकाओ पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 57/2026 धारा 137(2),65(1),352,131 बीएनएस व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट व 3(1)ध,3(2)(V),3(2)(5a) एससी0/एसटी0 एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता राकेश राजभर पुत्र संतबली राजभर निवासी घोरांग थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 31.01.2026 को फत्तेपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 29.01.2026 को थाना धनघटा पर वादी की पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, आरक्षी गौरव चौहान, आरक्षी मुन्नेलाल गुप्ता।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 31.01.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2026 धारा 87/137(2)/64(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रदीप कुमार उर्फ मशालू पुत्र अश्वर निवासी कशौला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को छिरिया पोखरा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 22.01.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 दीपक कुमार वर्मा।

क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर ठगी की शिकार हुई पीड़िता को साइबर सेल थाना दुधारा पुलिस टीम ने दिलाई राहत, ठगी की 6000 रू0 की धनराशि करायी गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना दुधारा टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक पीड़िता के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से निकाले गये 6000 /- रुपया वापस कराया गया तथा 19700 रूपये बैंक के माध्यम से होल्ड करा दिया गया है, जिसे शीघ्र ही रिकवर करा दिया जायेगा। थाना दुधारा साइबर टीम द्वारा प्राप्त शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए मामलें में पीड़िता के बैंक खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से निकाली गई धनराशि को साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं पोर्टल www.cybercrime.gov.in के माध्यम से संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर कुल 6000/- रु0 की धनराशि सफलतापूर्वक वापस करायी गयी तथा 19700 रूपये बैंक के माध्यम से होल्ड करा दिया गया है।

घटना का संछिप्त विवरण– दिनांक 16.07.2025 को थाना दुधारा क्षेत्र की ग्राम सिसईमाफी निवासी पीड़िता को एक अज्ञात जालसाज द्वारा पुलिस अधिकारी बनकर फोन करके ब्लैकमेल किया, डर के कारण आवेदिका ने अपने बैंक खाते से फ्रॉड द्वारा बताए गए दो अलग-अलग खातों में कुल ₹ 25,700 स्थानांतरित कर दिए। ठगी का अहसास होने पर आवेदिका द्वारा तत्काल थाना दुधारा में शिकायत दर्ज कराया गया। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी ऋषिकेश यादव द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 33107250078345 पंजीकृत की गई। इस सूचना पर तत्काल साइबर सेल थाना दुधारा की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए एक पीड़िता के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से निकाले गये 6000 /- रुपया वापस कराया गया तथा 19700 रूपये बैंक के माध्यम से होल्ड करा दिया गया है, जिसे शीघ्र ही रिकवर करा दिया जायेगा। जिसको नियमानुसार पीड़िता के खाते में वापस कराने की प्रक्रिया की जा रही है। इस पर पीड़िता व उसके परिजनों द्वारा थाना दुधारा पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें। सावधानी ही सुरक्षा है।

रिकवर/होल्ड कराने वाले अधि0/कर्मचारीगण- उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा, का0 हेमन्त कुशवाहा, का0 अनुज कुमार, आरक्षी ऋषिकेश यादव

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता किशोरी पुत्र रामदास निवासी ठाकुर द्वारा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 121 वाहनों से 2,77,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 31.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 121 वाहनों से 2,77,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ***जनपद के समस्त थानों द्वारा 61 स्थानों पर 1457 व्यक्तियों को किया गया चेक ।***
- ***68 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया ।***
- ***38 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही ।***
- ***1008 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया ।***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 05 स्थानों पर 110 व्यक्तियों को चेक किया गया, 90 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 05 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 178 व्यक्तियों को चेक किया गया, 63 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 02 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 04 स्थानों पर 199 व्यक्तियों को चेक किया गया, 185 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 14 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 15 स्थानों पर 190 व्यक्तियों को चेक किया गया, 06 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 103 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 09 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 20 स्थानों पर 320 व्यक्तियों को चेक किया गया, 20 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 280 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 20 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06 .थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 120 व्यक्तियों को चेक किया गया, तथा 32 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 170 व्यक्तियों को चेक किया गया, 125 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 05 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 02 स्थानों 120 व्यक्तियों को चेक करते हुए 85 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, तथा 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 50 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 45 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया 05 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

□***मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 51 स्थानों पर 2372 वाहनों को किया गया चेक ।***
□***मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 92 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही ।***
□***मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 11 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म ।***
□ ***मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 05 चार पहिया वाहनों पर शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर की गयी कार्यवाही ।***
□***मिशन शक्ति 5.0अभियान के तहत 01 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही ।***
□***मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1571 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी ।***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 31.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।